## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**

**सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 4165–तीन / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–8–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील मऊगंज प्रकरण कमांक 5 / अ–5 / 12–13.

................

श्रीमती गुजरात कली पत्नी श्री केदारनाथ
ब्राहम्ण उम्र करीबन 60 वर्ष पेशा खेती
निवासी सा0 जमुई एवं बरयांकला थाना
व तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0

...........आवेदक

विरूद्ध

1 शेषमणि तनय गंगाराम ब्रा0 आयु करीबन 72 वर्ष पेशा खेती
2 कौशल प्रसाद तनय गंगाराम ब्रा0 आयु करीबन 68 वर्ष पेशा खेती
3 केशरीप्रसाद तनय गंगाराम ब्रा0 आयु करीबन 60 वर्ष पेशा खेती
4 बृजनन्दन तनय रामसखा राम ब्रा0 आयु करीबन 70 वर्ष पेशा खेती
5 रजनीश तनय जगदीश प्रसाद ब्रा0 आयु करीबन 30 वर्ष पेशा खेती
6 संदीप तनय जगदीश प्रसाद ब्रा0 आयु करीबन 28 वर्ष पेशा खेती
7 प्रदीप तनय जगदीश प्रसाद ब्रा0 आयु करीबन 20 वर्ष पेशा खेती
8 श्रीमती सनैना पत्नी राजरूप ब्रा0 आयु करीबन 48 वर्ष पेशा खेती
9 रामलाल तनय गंगाराम ब्रा0 आयु करीबन 38 वर्ष पेशा खेती
10 रामशिरोमणि तनय रामसखा ब्रा0 उम्र 65 वर्ष पेशा खेती

उपरोक्त समस्त का पेशा खेती, निवासी सभी निवासी ग्राम जमुई थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0

...........अनावेदकगण

.................

श्री सर्वेन्द्र पाण्डेय, अभिभाषक, आवेदक
श्री बृजेन्द्र शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2
श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 3 से 10

...................

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 2-12-2015 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील मऊगंज जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 शेषमणि द्वारा तहसील न्यायालय में सा0 जमुई के नक्शा सुधार व शीर्ष प्रकरण के मुताबिक नक्शा तरमीम कराये जाने ~~नक्शा तरमीम~~ हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदिका गुजरातकली द्वारा अपने हिस्से की भूमियों का नक्शा तर्मीम मौके के विपरीत चोरी छिपे रा0प्र0क03/अ–5/98–99 आदेश दिनांक 19–4–99 से प्रमाणित कराया गया । जानकारी पश्चात अन्य पक्षकारों ने उक्त आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 152/अ–5/98–99 आदेश दिनांक 28–6–2002 द्वारा यह अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि कुल 40 किता भूमियों का नक्शा तर्मीम सभी पक्षकारों के उपस्थिति में व नये सिरे से मौके पर जाकर राजस्व निरीक्षक नक्शा तर्मीम प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें । उक्त आदेश दिये जाने के बावजूद आवेदक गुजरातकली द्वारा मौके के विपरीत नक्शा तर्मीम कराया गया । शिकायत होने पर राजस्व निरीक्षक से वस्तुस्थिति चाही गई, जिसमें बताया गया कि मौके के विपरीत नक्शा तर्मीम पुनः कराया गया है । राजस्व निरीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मौके के अनुसार नक्शा तर्मीम प्रस्ताव तैयार किया जाये । राजस्व निरीक्षक गिर्द के

प्रतिवेदन के परीक्षण से यह पाया गया कि सूचना एवं पंचनामा में सभी पक्षकार व सरहद्दी कृषकों के हस्ताक्षर बने है तथा प्रतिवेदन में सम्मिलित 40 किता भूमियों के नक्शा तर्मीम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है । तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया । इस आदेश दिनांक 30–8–13के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–13 अवैध, अनुचित एवं अनियमित तथा क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का राजस्व प्रकरण कमांक 11 व 12/अ–27/79–80 में नक्शा तरमीम का आदेश 31–7–1981 को पारित हो चुका है, इसके बावजूद भी अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से विवादित आदेश पारित कराया गया है, जो अवधि बाधित एवं क्षेत्राधिकार के परे अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त आदेश को आज तक चुनौती नहीं दी गई । वह आदेश अंतिम हो चुका है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा उक्त निर्णय को अपने आवेदन पत्र में छिपाया गया है, जिसे न मानने में एवं विवादित निर्णय में उसका हवाला न देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका को विधिवत एवं पर्याप्त सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया । अंत में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–13 निरस्त किया जाकर पूर्व आदेश के अनुसार बटनवारा के आधार पर पारित एवं तरमीम नक्शा को कायम रखा जाये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किये गये है :–

(1) उभयपक्ष को स्वीकृत तथ्य है कि तहसीलदार, तहसील मऊगंज का आलौच्य आदेश दिनांक 30–8–13 प्रकरण कमांक 05/अ–5/12–13 प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तित आदेश दिनांक 28–6–2002 प्रकरण कमांक 152/अ–5/98–99 के परिपालन के फलस्वरूप पारित एवं निर्णीत किया

गया है । उक्त अनुविभागीय अधिकारी के आलौच्य आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई, बल्कि तहसीलदार के समक्ष निष्पादन आदेश में उसके पति केदारनाथ उपस्थित होकर सूचना पत्र एवं पंचनामा में नक्शा रूपांतरण में हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी है तब उसी आदेश की पुनः बार–बार निगरानी व अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । वह आदेश कन्सेन्ट आदेश है एवं रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है । अतः निगरानी प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य नहीं है ।

(2) तहसीलदार, मऊगंज के प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 30–8–13 के विरूद्ध आवेदक ने दिनांक 15–10–13 को अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत, जिसका प्रकरण कमांक 04/अ–5/13–14 है एवं उसी आदेश की यह निगरानी भी माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष दिनांक 24–10–2013 को प्रस्तुत की। एक ही आदेश के विरूद्ध एक साथ अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं हो सकती है न ही प्रचलन योग्य है । भले ही अंतरालों के बाद आवेदिका अपनी अपील वापस करने का आवेदन लगाया हो, आवेदिका का उक्त कृत्य दुर्भावनापूर्ण नियत का द्योतक है । तहसीलदार के नक्शा तरमीम का आदेश संहिता की धारा 114 भू–अभिलेख से संबंधित है, जो संहिता के अंतर्गत अपीलनीय आदेश है, जैसा कि पूर्व में अपील भी प्रस्तुत थी, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 50 (1) व (2) के अनुसार पुनरीक्षण वर्जित है ।

(3) आवेदिका ने निगरानी ममो की कण्डिका 2 में यह तथ्य वर्णित किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजियातों का नक्श तर्मीम जरिये राजस्व प्रकरण कमांक 11 व 12/अ–27/1979–80 आदेश दिनांक 31–7–81 के द्वारा हो चुका है, जबकि उक्त आदेश संहिता की धारा 178 अनुसार खाता विभक्त बटनवारे का है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि कोई नक्शा तर्मीम का आदेश पारित नहीं है, ऐसी स्थिति में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा भी किया गया, उक्त तर्क बिना तथ्य के भ्रमपूर्वक था, जो मान्य योग्य नहीं है ।

(4) जब प्रथम अपीलीय न्यायालय के पारित प्रत्यावर्तित आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा इस कार्य हेतु दक्ष कर्मकार पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को चतुर्दिशा निर्धारित कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तो राजस्व निरीक्षक ने समस्त आवेदक एवं अनावेदकगणों एवं समीपस्थ काश्तकार/ग्रामीणों के समक्ष कब्जा के आधार पर नक्शा रूपांतर की कार्यवाही की, तब उक्त आदेश प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही का भौतिक अंग है, जिसे पुनः पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, अन्यथा भू–अभिलेख संबंधी उक्त जटिलताएं कभी भी खत्म नहीं होगी ।

(5) आवेदिका ने माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 जा0 दीवानी के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त पैरा के कमांक 1 में वर्णित किया है कि उसे आलोच्य प्रश्नाधीन आदेश में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30–8–13 के उन्मान का अवलोकन किया जाय तो अनावेदक के रूप में गुजरातकली पक्षकार संयोजित है एवं उनके पति केदार प्रसाद मौके स्थल में सूचित भी थे, हस्ताक्षर भी किए है एवं इसी तरह प्रस्तुत आवेदन के पैरा 2 एवं 3 में आवेदक ने यह वर्णित किया है कि अनावेदकगणों ने पूर्व से भी नक्शा तर्मीम बाबत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण कमांक 152/अ–5/98–99 आदेश दिनांक 28–6–2002 के पूर्व प्रस्तुत किए थे, जो प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसे छिपाकर प्रश्नाधीन आदेश अनावेदकगणों ने हासिल किया है, जबकि उसी प्रत्यावर्तन आदेश अनुसार प्रश्नाधीन आदेश तहसीलदार ने पारित किया है, जो प्रकरण आज तक इस न्यायालय द्वारा तलब नहीं करवाया गया है, बल्कि एक अन्य प्रकरण 3/ए–5/98–99 आदेश दिनांक 19–4–95 तलब किया गया है, जो माननीय न्यायालय द्वारा मांगपत्र जारी ही नहीं किया गया था, इस तरह आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन एवं विकय पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है न ही पुनरीक्षण में द्वितीयक साक्ष्य आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 प्रस्तुत ही हो सकती है, उक्त प्रावधान अपील हेतु है, न ही लागू है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन मान्य योग्य नहीं है ।

(6) आवेदिका के प्रस्तुत निग़रानी से स्पष्ट व मान्य है कि विभाजित/बटांकित आराजी के समस्त भूमिस्वामियों में मात्र अकेले आवेदिका को ही आपत्ति है । शेष

बटांकित भूमिस्वामी जो अनावेदकगण है, उन्हें तहसीलदार द्वारा किए गए नक्शा रूपांतरण आदेश दिनांक 30–8–2013 से किसी को आपत्ति नहीं है, अतः मात्र आवेदिका की आपत्ति पर शेष 10 अनावेदकगणों के न्यायिक हित आदेश को प्रभावित किया जाना नैसर्गिक न्याय के विपरीत होगा ।

तर्क के समर्थन में 2014 राजस्व निर्णय 227 एवं 1997 राजस्व निर्णय 189 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ मेरे द्वारा प्रस्तुत तर्कों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30–8–13 अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण क्रमांक 152/अनु0अ0/98–99 में पारित आदेश दिनांक 28–6–2002 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ही जारी किया गया है । इस प्रकार आवेदिका का यह कहना कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश को छिपाकर अनावेदकों द्वारा प्रश्नाधीन आदेश हासिल किया गया है पूर्णतः मिथ्या होने से स्वीकार योग्य नहीं है ।

6/ आवेदिका का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 11 व 12/अ–27/79–80 में नक्शा तरमीम का आदेश दिनांक 31–7–1981 पारित हो चुका है । आदेश दिनांक 31–7–81 का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस आदेश द्वारा उभयपक्ष के मध्य संहिता की धारा 178 के तहत विवादित भूमियों का बंटवारा किया गया है न कि नक्शा तरमीम । इस प्रकार आवेदिका का यह कहना भी स्वीकार योग्य नहीं है कि आदेश दिनांक 31–7–81 से नक्शा तरमीम हो चुका है।

7/ आवेदिका का यह कहना भी स्वीकार योग्य नहीं है कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया । आक्षेपित आदेश दिनांक 30–8–13 के जारी करने से पहले के तरमीम प्रस्ताव आर–1 से मंगाया गया उसमें नक्शा तरमीम प्रस्ताव दिनांक 15–2–13 एवं पंचनामा में आवेदिका के प्रतिनिधि के रूप में आवेदिका के पति केदारप्रसाद के हस्ताक्षर है जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदिका के पति उपस्थित

थे । इस प्रकार यह कहना कि सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया अस्वीकार योग्य है ।

8/ सम्पूर्ण कार्यवाही एवं रिकार्ड के अवलोकन के अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा मंगाये गये नक्शा तरमीम प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि नक्शा तरमीम प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा 31–7–81 के आदेश द्वारा किए गये बंटवारे के अनुसार बंटवारे में दिए गये सर्वे क्रमांकों एवं कब्जे के आधार पर तैयार कर तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है, जिसे तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–8–13 के द्वारा राजस्व निरीक्षक के नक्शा तरमीम प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । वहीं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार के पूर्व आदेश दिनांक 31–7–81 को सही बताया गया है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा किए गये नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 30–8–13 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

9/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–8–13 विधिवत एवं सारवान होने से स्थिर रखा जाता है तथा यह निगरानी अस्वीकार की जाती है । आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दा0 रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर